प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 80/2022)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने 'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें , जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 2022 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें , जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) ने अपने पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2022 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वीएचएफ डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा हेतु विमान की ट्रैकिंग के लिए डेटा शामिल है। संचार मंत्रालय ने मैसर्स सोसाइटी इंटरनेशनेल डे टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक (एसआईटीए) और मैसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसिज (बीसीएस) को विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डेटा संचार लिंक संचालित करने के लिए फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट किया है। यह देखते हुए कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन्स एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग (ACAR) सेवा प्रदान करने के लिए वीएचएफ डेटा लिंक सेवायें एयरक्राफ्ट को, वास्तविक समय के आधार पर, ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/ खोज और बचाव अभियान में मदद करने में फायदेमंद हो सकती हैं। इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए डीओटी ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) के खंड 11(1)(क) की शर्तों के तहत भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित पर सिफ़ारिशें प्रदान करें:

- इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि;
- 2012 में 2-जी मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में - केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन हेतु - इन संगठनों को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट किये जाने का तरीका ।

2. इस संबंध में, **'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं'** पर एक परामर्श पत्र, हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 09 जनवरी 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 23 जनवरी 2023 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

3. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा